


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
रामेश्वर पुत्र रूपाराम जाति जाट वगै. बनाम पारादेवी पत्नि रूपाराम जाति जाट वगै.
सा. घरवाणी तह. नावां सा. घरवाणी तह. नावां

किस्म मुकदमा : 88 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 147/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
10.06.2022	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">GM / (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
11/7/22	<p>अधिवक्ता वादी उपण तलबी/अदम्य सम्मन प्राप्त नहीं इन्तजा होकर पत्रावली दिनांक 24/8/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">GM,</p>	
24/8/22	<p>पत्रावली पेश की गयी है। अदम्य सम्मन के द्वारा अदम्य सम्मन रखा है। पत्रावली दिनांक 26/8/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">1</p>	
26/8/22	<p>अधिवक्ता वादी उपण तलबी पुनः पेश करके मिण्डि 13/10/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">GM</p>	
13/10/22	<p>अधिवक्ता वादी उपण तलबी पेश करने हेतु हिदायत की गयी मिण्डि 13/12/22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">GM</p>	
13/12/23	<p>अधिवक्ता वादी उपण पूर्व आदेश की पालना करने हेतु हिदायत की गयी पत्रावली वास्तु तलबी दि 22/2/23 को पेश हो</p>	

27/12/23

पत्रावली वादीगण अर्पिते अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेडा हुई अधिवक्ता वादीगण के प्राप्पत्र वादा पत्रावली आज ही तलबी कर अर्पिते विज्ञापन खातिज एवं नया वाद पेडा करने की अनुमति दिलाने पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र पेडा करने समप उक्त वाद में कुछ तथ्य अंकित होने से यह गये समानि उक्त वाद पत्र को नये वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अर्पिते विज्ञापन खातिज किया जावे।

[Handwritten signature]
(27/12/23)

अतः वादीगण के निवेदन पर वादीगण का वाद-पत्र नये वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अर्पिते विज्ञापन खातिज किया जाता हैं। पत्रावली फील शुमाट होकर हाबिल दफतर व नम्बर ले कम हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)